न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 21/2022 (राजसमन्द आर्डर)

1. मंजु कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह राजपूत, निवासी सरेवडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द हाल निवासी हरीदर्शन चवल, शिवशक्ति नगर, बाजार पेठ, खारेगांव, कलवा पूर्व, ठाणे (महाराष्ट्र)
2. लाड कंवर पत्नी फतहसिंह राजपूत, निवासी सरेवडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द हाल निवासी उदयसिंह सिंह शिव कालोनी, नई बावड़ी, रामेश्वर महादेव रोड़, राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)
3. शारदा कंवर पत्नी भवानीसिंह राजपूत, निवासी सरेवडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द हाल निवासी एन.एल.ए. 1–बी, 17/12, स्टेशन रोड़, जय भवानी मार्केट सेक्टर 10, नेरूल, नवी मुम्बई, ठाणे (महाराष्ट्र)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नारायणसिंह पिता कालूसिंह राजपूत, निवासी सरेवडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. दलपतसिंह पिता कालूसिंह राजपूत, निवासी सरेवडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. कुलदीपसिंह पिता जेठूसिंह राजपूत, निवासी सरेवडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. दशरथ कंवर पत्नी अर्जुनसिंह राजपूत, निवासी सरेवडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. जालमसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी सरेवडी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध

निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट

दिनांक 29.09.202 ... 15/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:46 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित(वक्त बहस) 1— श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 3
3— राजकीय पैरोकार अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 6

———::———

निर्णय दिनांक 19—09—2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरेवडी में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की आराजी नंबर 37 रकबा 0.9100 हैक्टर एवं आराजी नंबर 49 रकबा 0.7200 हैक्टर स्थित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 63 रकबा 0.9300 किस्म सरकारी रास्ता से है जो मौके पर चालू एवं खुला हुआ है, जिसमें से होकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 61 व विपक्षी संख्या 2 की आराजी नंबर 48 से होते हुए प्रार्थीगण अपनी आराजियात में प्रवेश करते हैं जो करीब 15 फिट चौड़ा है, लेकिन उक्त आराजियात विपक्षीगण की होने से रास्ता बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त आराजियात में आ जा नहीं पा रहे हैं। अतः विपक्षीगण की आराजी नंबर 61 व 48 में जो मौके पर 15 फिट रास्ता है, उसे खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29—09—2022 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 4 से 6 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील [illegible] मीमो में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26—07—2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:46 IST
Reason: SelfAttested

को अपीलान्ट को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ तथा दिनांक 16–08–2022 को प्रथम बार अपीलान्ट को नोटिस जारी हुए, जिसकी पालना में पत्रावली दिनांक 27–09–2022 के लिए नियत थी एवं पत्रावली में उक्त दिनांक को 11–10–2022 की पेशी नियत की गयी, किन्तु पुनश्चय लिखकर अपीलान्ट की तामील ट्रेक होना बताकर निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का जवाब लिये बिना ही उनका जवाब बंद कर सीधे निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी, न ही अपीलान्ट मौके पर उपस्थित थे। फिर भी निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त एकपक्षीय तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2019 0 Supreme (Raj) 841, 2019 2 DNJ 663, 2019 0 RRD 414, 2019 3 WLN 10 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर कीमतन रास्ते बाबत् निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2017 (2) Page 980, RRT 2019 (2) Page 1098, RRT 2015 (2) Page 1003, RRT 2018 (1) Page 706, RRT 2016 (2) Page 798 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार आमेट द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को प्रेषित पत्र दिनांक 06–07–2022 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी की आराजी नंबर 37 व 49 में आने–जाने हेतु कोई भी रास्ता राजस्व नक्शे/रिकार्ड में दर्ज नहीं है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 63 बिलानाम रास्ते से विपक्षीगण की खातेदारी की भूमि 61, 60, 47 व 48 में से होकर खसरा नंबर 49 में प्रवेश करता है, जिसकी दूरी 105 मीटर तथा चौड़ाई 4.57 मीटर है। आराजी नंबर 37 व 49 में जाने हेतु रास्ते का आत्यांतिक अभाव है।

उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में जो

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक नजीरें अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने प्रस्तुत की हैं, उसके अनुसार भी नये रास्ते का आदेश दिया जाना न्याय संगत है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के खाते की आराजी नंबर 37 व 49 में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नंबर 61, 60, 47 व 48 में से 105 मीटर लम्बा व 4.57 मीटर चौड़ा रास्ता कीमतन दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–09–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:46 IST
Reason: SelfAttested